पत्र संख्या-पुर०–02 / 2022–23.. / रा०

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

प्रेषक,

डॉ० महेन्द्र पाल,
निदेशक।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.......................

विषयः- **हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना 2022–23 से संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन।**

महोदय,

बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग की हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना के अधीन हिन्दी लेखकों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के उद्देश्य से उनकी अप्रकाशित स्तरीय मौलिक पांडुलिपियों के प्रकाशनार्थ अनुदान स्वीकृत किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि अनुदान से संबंधित संलग्न सूचना को राज्य के प्रमुख हिन्दी समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : सूचना की प्रति।

विश्वासभाजन

कार्यालय का पता : सी / 211, ऑफिसर्स हॉस्टल,
(बिहार म्यूजियम के सामने) बेली रोड, पटना–800001
मो0–8986100161

ह0 / –
(डॉ० महेन्द्र पाल)
निदेशक

ज्ञाप संख्या-.........198........**/रा०, पटना, दिनांक**....19.4.22.............

प्रतिलिपिः- प्रोग्रामर, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बिहार, पटना को संलग्न सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/04/22

(डॉ० महेन्द्र पाल)
निदेशक

D:\VIVEK 2021-22\Vijay Prakash Sinha\Pur-02-2022-23.doc

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना

सूचना

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बिहार द्वारा संचालित, पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना के अधीन हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं में अप्रकाशित उत्कृष्ट मौलिक पांडुलिपियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

वैसे लेखक, जो अपनी कृति का प्रकाशन अर्थाभाव के कारण करा सकने में असमर्थ हैं, अपनी पांडुलिपि दो प्रतियों में दिनांक 31.05.2022 तक निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, सी/211, ऑफिसर्स हॉस्टल, (बिहार म्यूजियम के सामने) बेली रोड, पटना–800001 को उपलब्ध करा सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट rajbhasha.bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

इस योजना का कार्यान्वयन निम्न शर्त्तों के तहत किया जाएगा –

1. अनुदान हेतु पांडुलिपियों का चयन तथा अनुदान राशि का निर्धारण उनकी स्तरीयता एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय सर्वमान्य होगा।
2. अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई बाह्य अनुशंसा स्वीकार्य नहीं होगी।
3. शोध प्रबंध पर अनुदान देय नहीं होगा।
4. 100 (सौ) पृष्ठों से कम की पांडुलिपि पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. पांडुलिपियाँ A4 साइज में केवल कम्प्यूटर टंकित (फॉण्ट साइज 16 से बड़ा न हो) एवं स्पाइरल बाईडिंग युक्त ही स्वीकार की जाऐंगी। अस्पष्ट/अपठनीय, अस्त–व्यस्त (not properly bond), पृष्ठ संख्या रहित तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन एवं पांडुलिपि पर पांडुलिपि का नाम, लेखक का नाम एवं पूरा पता, पिन कोड तथा मोबाईल नं० होना आवश्यक है।
6. अस्वीकृत पांडुलिपियाँ लेखकों के अनुरोध पर निर्णय होने के एक वर्ष के भीतर विभाग द्वारा लौटा दी जायेंगी।
7. अनुदान–प्राप्त पांडुलिपि की एक प्रति लेखक के अनुरोध पर लौटाई जा सकेगी।
8. प्रकाशित पुस्तक की पाँच प्रतियाँ विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करानी होंगी।
9. अनुदान–प्राप्ति के एक वर्ष के भीतर पुस्तक प्रकाशित नहीं करने की स्थिति में अनुदान की सम्पूर्ण राशि एकमुश्त मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग को लौटानी होगी। ऐसा नहीं करने पर विधिक कार्रवाई द्वारा राशि की वसूली की जाएगी।
10. विभाग द्वारा यदि किसी लेखक को पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान पूर्व में प्राप्त हो चुका हो, तो वे अनुदान प्राप्ति के वर्ष के 5 वर्षों के बाद दुबारा अनुदान हेतु आवेदन कर सकेंगे।
11. लेखक द्वारा इस आशय का घोषणा–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा कि उन्हें विगत पाँच वर्षों में मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान प्रदान नहीं किया गया है।

18/04/22

(डॉ० महेन्द्र पाल)
निदेशक
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग
बिहार, पटना–800001

हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना, 2022–23

आवेदन–पत्र

सेवा में,

निदेशक,
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग,
सी/211, आफिसर्स हॉस्टल,
(बिहार म्यूजियम के सामने)
बेली रोड, पटना–800001

पारपत्र
आकार का
फोटो

1. लेखक/कवि का नाम
   .....

2. पिता/पति का नाम : .....
3. पूरा पता : .....
   .....
   ..... पिन कोड | | | | | | |
   मोबाईल/फोन नं० (स्थानीय कोड सहित) : .....

4. पांडुलिपि का विवरण :
   नाम : .....
   विधा : ....., पृष्ठों की कुल संख्या :.....

5. मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा पूर्व में यदि अनुदान प्राप्त हुआ हो तो अनुदान प्राप्ति का वर्ष : .....

6. **घोषणा** : मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत पाँच वर्षों के भीतर मुझे मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग का हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए मेरे द्वारा जमा की जा रही पांडुलिपि मेरी मौलिक एवं अप्रकाशित कृति है। इसमें कहीं भी प्रकट या प्रच्छन्न रूप से किसी व्यक्ति/जाति/वर्ग/समुदाय/धर्म/सरकार आदि के विरूद्ध व्यक्तिगत/द्वेषपूर्ण/आपत्तिजनक/राष्ट्रीय एकता के विरूद्ध टिप्पणी नहीं की गयी है। मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि अपनी पांडुलिपि को अर्थाभाव के कारण प्रकाशित कराने में असमर्थ हूँ। यदि मैं पांडुलिपि प्रकाशित कराने में असफल रहा तो अनुदान की राशि वापस कर दूंगा/दूंगी।

   पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान के लिए निर्धारित सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

स्थान : .....

दिनांक : .....

.....

(आवेदक का पूरा हस्ताक्षर)